

५१
१७

पत्रावली चेश दुई। वकील अप्रार्थित व प्रार्थित
उपस्थित नहीं। पत्रावली से सम्बंधित दावा अदम
पैरवी, अदम राजरी में खारिज किया जा चुका है।
अतः पत्रावली इसी बेंच पर खारिज की जाती
है। पत्रावली ऊबला शुमार होकर बाद तबतीब,
कमितील दारिखल दफतर हो।

5/17

